प्रेस के लिए सूचना पत्र (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 04/2021)

तुरंत जारी करने के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

''प्लेटफार्म सेवाओं के लिए विनियामक फ्रेमवर्क'' पर भादूविप्रा की दिनांक 19.11.2014 की सिफारिशों पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) के पिछले पत्र और ''डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा प्रस्तुत प्लेटफार्म सेवाओं'' पर भादूविप्रा की दिनांक 13.11.2019 की सिफारिशों पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पत्र के संबंध में भादूविप्रा द्वारा सिफारिशें जारी करना।

नई दिल्ली, 2 फरवरी 2021 – भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज ''प्लेटफार्म सेवाओं के लिए विनियामक फ्रेमवर्क'' पर भादूविप्रा की दिनांक 19.11.2014 की सिफारिशों पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) के पिछले पत्र और ''डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा प्रस्तुत प्लेटफार्म सेवाओं'' पर भादूविप्रा की दिनांक 13.11.2019 की सिफारिशों पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पत्र के संबंध में अपनी सिफारिशें जारी की हैं।

2. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने दिनांक 23.10.2020 के अपने पत्र के तहत भादूविप्रा अधिनियम 1997 की धारा 11(1) के परंतुक के अनुसार ''प्लेटफार्म सेवाओं के लिए विनियामक फ्रेमवर्क'' पर 19.11.2014 की भादूविप्रा की सिफारिशों को पुनर्विचार के लिए वापस भेजा था, जिन्हें संशोधनों के साथ स्वीकृति दी गई है।

3. इसके अलावा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 23.10.2020 के अपने एक अन्य पत्र के तहत प्लेटफार्म सेवाओं के लिए विनियामक फ्रेमवर्क पर भादूविप्रा की दिनांक 19 नवंबर, 2014 की सिफारिशों और डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा प्रस्तुत प्लेटफार्म सेवाओं पर भादूविप्रा की दिनांक 13 नवंबर, 2019 की सिफारिशों को वापस भेजा था। इस दूसरे पत्र द्वारा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एमएसओ द्वारा प्रस्तुत प्लेटफार्म सेवाओं के संबंध में चार मुद्दों पर कुछ सिफारिशों को अपनाने और ''डीटीएच'' शब्द को ''एमएसओ'' शब्द से बदलने का प्रस्ताव किया है और भादूविप्रा से उपुर्यक्त प्रस्ताव पर अपनी राय देने का अनुरोध किया है।

4. इस संबंध में, भादूविप्रा ने सभी हितधारकों की टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए 7.12.2020 को एक परामर्श पत्र जारी किया था। टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 14.12.2020 और प्रति–टिप्पणियां प्रस्तुत करने की 21.12.2020 थी, कुछ हितधारकों के अनुरोध पर टिप्पणियां और प्रति–टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर क्रमशः 19.12.2020 और 26.12.2020 किया गया था। भादूविप्रा ने 31 हितधारकों से परामर्श पत्र पर टिप्पणियां प्राप्त कीं जो भादूविप्रा की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। हालांकि, कोई प्रति–टिप्पणी प्राप्त नहीं की गई।

5. परामर्श प्रक्रिया के दौरान हितधारकों से प्राप्त सभी टिप्पणियों पर विचार करने और मुद्दों का विश्लेषण करने के बाद, प्राधिकरण ने अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दिया । सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं:

i) भादूविप्रा को मंत्रालय के यह विचार कि एमआईबी या पोस्ट ऑफिस में डीपीओ के रूप में पंजीकृत कोई भी व्यक्ति प्लेटफॉर्म सेवा (पीएस) चैनल चलाने का पात्र है, बशर्ते कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए अनुपालन संरचना निर्दिष्ट करने में समर्थ है कि प्लेटफार्म सेवाएं मुहैया कराने वाले स्वामित्व स्थिति का पूरा प्रकटन करेंगे और कार्यक्रम एवं विज्ञापन कोड का पालन करेंगे, को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। इसके अलावा, प्राधिकरण सिफारिश करता है कि पीएस के रूप में स्थानीय समाचारों और

करेंट अफेयर्स सेवाएं मुहैया कराने का इच्छुक कोई व्यक्ति/संस्था, या जो पहले से ऐसी सेवाएं मुहैया करा रही हैं, उन्हें भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कंपनी के रूप में निगमित किया जाना चाहिए।

ii) एमएसओ, आईपीटीवी ऑपरेटर और हिट्स ऑपरेटर द्वारा अधिकतम 15 पीएस चैनलों की पेशकश की जा सकती है।

iii) भादूविप्रा एमआईबी के इन सुझावों से सहमत है कि एमआईबी उन सभी एमएसओ/एलसीओ की सुरक्षा मंजूरी प्राप्त करेगा, जो पीएस की पेशकश करना चाहते हैं और जिन्हें पंजीकरण के समय एमएचए सुरक्षा की मंजूरी नहीं दी गई थी, जबकि वे अपना पीएस चलाते हैं। हालाँकि, एमआईबी द्वारा सुरक्षा मंजूरी लेने से पहले यह निर्धारण किया जाता है कि पीएस पर पेश की गई प्रोग्रामिंग सेवा और जिसे ऑनलाइन सिस्टम में पंजीकृत किया गया है, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए या जनता हित के प्रतिकूल है तो एमआईबी एमएसओ/एलसीओ को पीएस चैनल या प्रोग्रामिंग सेवा के वितरण को वापस लेने के लिए कह सकती है और/या पंजीकरण को निरस्त कर सकती है। इसके अलावा भादूविप्रा ने सिफारिश की कि एमआईबी उन सभी, जिनके स्वामित्व/नियंत्रण में कोई बदलाव है, सहित सभी डपीपीओ (जो पीएस की पेशकश कर रहे हैं) की सुरक्षा मंजूरी की समीक्षा करने के लिए एक प्रक्रिया स्थापित कर सकती है। एमआईबी पीएस की पेशकश के लिए अनुमति प्रदान करते समय डीपीओ से अपेक्षित शपथपत्र की मांग कर सकती है।

iv) प्राधिकरण, एमआईबी के इन विचारों से सहमत है। प्लेटफ़ॉर्म सेवाओं (पीएस) की परिभाषा इस प्रकार होगी:
"प्लेटफ़ॉर्म सेवाएँ (पीएस) वितरण प्लेटफ़ॉर्म ऑपरेटर्स (डीपीओ) द्वारा अपने उपभोक्ताओं के लिए विशेष रूप से प्रसारित कार्यक्रम हैं और इसमें दूरदर्शन चैनल और पंजीकृत टीवी चैनल शामिल नहीं हैं। पीएस में वे विदेशी टीवी चैनल शामिल नहीं होंगे जो भारत में पंजीकृत नहीं हैं।"

पंजीकृत टीवी चैनलों या टेलीविज़न चैनलों का आशय ऐसे चैनल से है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए यथा संशोधित नीतिगत दिशानिर्देशों के तहत डाउनलिंकिंग की अनुमति दी गई है और 'चैनल' शब्द का संदर्भ 'टेलीविज़न चैनल' के संदर्भ में होगा।

v) प्राधिकरण एमआईबी के विचारों से सहमत है। प्राधिकरण ने सिफारिश की है कि:

(क) डीटीएच ऑपरेटर/एमएसओ/आईपीटीवी/हिट्स ऑपरेटर द्वारा एक प्लेटफॉर्म सेवा के रूप में प्रसारित कार्यक्रम विशिष्ट होगा और इसे किसी अन्य वितरण प्लेटफॉर्म ऑपरेटर (डीपीओ) के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से साझा करने की अनुमति नहीं होगी।

(ख) एक प्लेटफार्म सेवा के रूप में डीटीएच ऑपरेटर/एमएसओ/आईपीटीवी/हिट्स ऑपरेटर द्वारा प्रसारित कार्यक्रम में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी पंजीकृत टीवी चैनल या दूरदर्शन चैनल या विदेशी टीवी चैनल। शामिल नहीं होगा। पंजीकृत टीवी चैनलों की टाइम–शिफ्ट फीड (जैसे +1 सेवाएं) को प्लेटफॉर्म सेवा के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ग) डीटीएच ऑपरेटर/एमएसओ/आईपीटीवी/हिट्स ऑपरेटर को मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में मंत्रालय को यह सुनिश्चित और उपलब्ध कराना होगा कि प्रसारित कार्यक्रम उनके प्लेटफॉर्म के लिए विशिष्ट हैं और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन्हें किसी अन्य डीपीओ के साथ साझा नहीं किया गया है।

(घ) यदि वही कार्यक्रम किसी अन्य डीपीओ के पीएस पर उपलब्ध है, तो एमआईबी/भादूविप्रा ऐसे कार्यक्रम के प्रसारण को तुरंत रोकने के लिए निर्देश जारी कर सकता है। एमआईबी को डीटीएच ऑपरेटर/एमएसओ/आईपीटीवी/हिट्स ऑपरेटर के ऐसे चैनल के पंजीकरण को रद्द करने का अधिकार भी है।

vi) प्राधिकरण एमआईबी के विचारों से सहमत है। डीटीएच ऑपरेटर/एमएसओ/आईपीटीवी/हिट्स ऑपरेटर भादूविप्रा द्वारा समय–समय पर जारी किए गए आदेशों/निर्देशों/विनियमों में निर्धारित प्लेटफॉर्म सेवाओं को सक्रिय/निष्क्रिय करने का विकल्प प्रदान करेगा।

vii) प्राधिकरण एमआईबी के विचारों से सहमत है। डीटीएच ऑपरेटर/एमएसओ/आईपीटीवी/हिट्स ऑपरेटर के लिए:

(क) प्लेटफार्म सेवा चैनल भादूविप्रा द्वारा समय–समय पर जारी किए गए आदेशों/निर्देशों/विनियमों के अधीन इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल गाइड (ईपीजी) में शैली 'प्लेटफॉर्म सेवाएं' के तहत वर्गीकृत किए जाएंगे।

(ख) समय–समय पर भादूविप्रा द्वारा जारी किए गए आदेशों/निर्देशों/विनियमों के अधीन प्रत्येक प्लेटफ़ॉर्म सेवा के लिए प्लेटफ़ॉर्म सेवा का संबंधित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) ईपीजी में प्रदर्शित किया जाएगा।

(ब) 'प्लेटफ़ॉर्म सेवाएं' के रूप में कैप्शन लगाने का प्रावधान के तहत रैखिक सेवाओं से प्लेटफ़ॉर्म सेवाओं को अलग करना अपेक्षित होगा। सरकार कैप्शन को एक ऐसे आकार में तय कर सकती है जो उपभोक्ताओं द्वारा देख कर पढ़ने योग्य हो।

6. सिफारिशों का पूरा पाठ भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

7. किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए श्री अनिल कुमार भारद्वाज, सलाहकार (बीएंडसीएस) से टेलीफोन नंबरः + 91–11–23220942 द्वारा संपर्क किया जा सकता है।

(एस. के. गुप्ता)
सचिव, भादूविप्रा

<u>अस्वीकरण: यह दस्तावेज मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित दस्तावेज का हिंदी अनुवाद हैं। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह दस्तावेज मान्य होगा।</u>